MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILL
The National Capital Territory of Delhi Laws
(Special Provisions) Bill, 2007

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, I rise to move:

"That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to 31st December, 2008 and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 was enacted and published for general information on May 19, 2006 in order to address on priority and in view of the several directions/orders passed by the Supreme Court and the High Court of Delhi in cases pending before them regarding a number of burning issues which were confronting the city of Delhi at that time, namely, unauthorised constructions, commercial use of residential premises, encroachment on public land by slum dwellers and JJ clusters, and problems relating to urban street vendors and which were affecting the lives of millions of people.

The Act, Sir, *inter alia*, provided the Central Government with a time period of one year to take all possible steps to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of unauthorised development with regard to mixed land use not conforming to the Master Plan, construction beyond sanctioned plans, and encroachment by slum and JJ dwellers and hawkers and urban street vendors. It also provided for *status quo* as on 1st day of January, 2006 to be maintained in respect of these categories of unauthorised development, subject to certain conditions notwithstanding any judgment, decree or order of the court. Similarly, it provided that all notices issued by the local bodies for initiating action against these categories of unauthorised developments shall be deemed to have been suspended and that no punitive action shall be taken during the said period of one year.

The Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 was effective for a period of one year and lapsed on May 18, 2007. In the intervening period, the Master Plan for Delhi 2021 was notified on 7.2.2007, incorporated extensive amendments in respect of provisions governing mixed use, and for construction beyond sanctioned plans, thus providing much-needed relief in the case of unauthorized development with regard to mixed land use not conforming to the Master Plan and to construction beyond sanctioned plans.

However, the policy guidelines and feasible strategy or scheme to deal with the problems of unauthorized development in certain categories, such as slum and JJ dwellers, urban street vendors and hawkers, farm houses, schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions built in rural areas on agricultural land are yet to be finalized.

Therefore, since it was felt that some more time is required for making orderly arrangements for preparing policy guidelines, feasible strategies, or schemes for these categories of unauthorized developments, the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Ordinance, 2007 was promulgated on 4.7.2007. While approving the promulgation of the Ordinance, the Government had also approved to replace the Ordinance with an Act.

Accordingly, the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2007 was introduced in the Lok Sabha on 17.8.2007. Subsequent to introduction of this Bill,

certain additional provisions became necessary to be included in the Bill in view of some important developments in regard to sealing of commercial premises.

Based on recent recommendations of the Monitoring Committee, the Supreme Court has ordered that within a period of three weeks from 27.8.2007, commercial uses in unauthorized colonies shall stop functioning from the premises, except to the extent that the 24 categories which are permitted in the regular areas, shall not affect those commercial premises if they are up to 20 square metres. Similarly, based on representations received and discussions held, it was felt that storages, warehouses and godowns meant for agricultural inputs/ produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land also needed to be included in the list of unauthorized development to be protected so as to avoid any adverse impact on account of their sudden closure/sealing.

In view of these developments, it was felt that the scope of the proposed National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2007 needs to be widened to maintain *status quo* in respect of unauthorized colonies as well as storages, warehouses and godowns meant for agricultural inputs/produce (including dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land, which was approved by the Government.

However, before the aforementioned official amendments could be moved for consideration and approval, the Monsoon Session of Parliament which was scheduled up to 14th September, 2007 was adjourned *sine die,* and later, prorogued, and as a result, the Ordinance became liable to lapse on the expiration of six weeks from the date of the reassembly of Parliament as per the provisions of article 123 of the Constitution. In view of the exigencies explained in the preceding paras and since the Parliament was not in session, it became necessary to promulgate a second Ordinance to maintain *status quo* so that no punitive action is taken during this period in respect of unauthorised development as given above. The proposal was approved by the Government on 13th September, 2007.

While approving the proposal, the Government also decided that the scope of proposed Ordinance be widened to include the village *abadi* and its extension. This decision was taken to prevent loss and damage to people living in a large number of villages in the National Capital Territory of Delhi.

Thus, pursuant to the decision of the Government, the President was pleased to promulgate the NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 on 15th September, 2007, according to which *status quo* is to be maintained in respect of the following categories of unauthorised development: slum dwellers and *jhuggi-jhompri* clusters, hawkers and urban street vendors, unauthorised colonies, village *abadi* areas and its extension, existing farm houses involving construction beyond permissible building limits and schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions and storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce, including dairy and poultry, in rural areas built on agricultural land, with a duration up to 31st December, 2008.

The NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2007 seeks to replace the NCT of Delhi Laws (Special Provisions) Second Ordinance, 2007 by an Act of the Parliament.

The question was proposed.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि पिछले दो साल में उन्होंने इस बिल पर जितनी मेहनत की है और दिल्ली वालों को जो परेशानी थी, उसको खत्म करने के लिए समय-समय पर आपने जो कदम उठाए, इससे पहले बिल लाए, उसके बाद फिर बिल

मूव किया, फिर ऑर्डिनेंस आया, फिर बिल आया है और इस बीच कई सहूलियतें देने की कोशिश की, तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। अगर कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आपका दिल इतना बड़ा होगा, जिसमें सारी दिल्ली समा जाए और उसमें लोगों को राहत मिले। मुझे आज बड़ा अफसोस है कि सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। शायद उनको दिल्ली वालों में कुछ दिलचस्पी भी नहीं है और न उनके दिल में दर्द है। वे बाहर कुछ कहते हैं और अन्दर कुछ कहते हैं। आज जब समय आया था कि हम दिल्ली वालों की बात यहां उठा सकते थे, जो बात हम बाहर कहते हैं, उसे हाउस में कह सकते थे, यहां बैठे हुए सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने यह बता सकते थे कि हम उनके हमदर्द हैं, जो बाहर तकलीफ में हैं, आज सारी बेंचेज़ खाली हैं और वे यहां से गायब हैं, तो यह लगता है कि उनकी यह हमेशा से पहले भी रही है और आज भी। एक डायरेक्टर की वजह एक तरफ हो सकती है, मैं मान सकता हूं, आप उसको protest कर सकते थे, लेकिन जहां दिल्ली वालों का सवाल था, आज जब मालूम था कि बिल आने वाला है, तो उनको वापस आ कर इस बिल पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था और यहां उन बातों को उठाना चाहिए था। शायद उनके मन में वह दिलचस्पी नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह कहां से शुरू हुआ। एनडीए की सरकार में दो तरह की नीति रही। पहली यह कि उस समय जो मास्टर प्लान समय से आना चाहिए था, इन्होंने वह नहीं लाया। कोर्ट ने जो सबसे बड़ा ऐतराज किया, वह इसी बात पर किया कि मास्टर प्लान टाइम पर क्यों नहीं आया। अगर यह आ जाता, तो उसमें जो सारी चीजें, सहूलियतें मिलने वाली थीं या पॉलिसी के अन्दर या नक्शे के अन्दर आने वाली थीं, वे सारी उसमें शामिल होतीं, तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने मास्टर प्लान को delay किया और दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री ने, जो उस समय शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, कोर्ट में यह affidavit दिया कि हमें कोई ऐतराज नहीं है कि दिल्ली में जो unauthorised construction है, उसको तोड़ दिया जाए। उन्होंने कोर्ट में यह एफिडेविट दिया कि लोगों को बेघर कर दिया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। शायद यही वजह है वे आज यहां नहीं है। जो हालात उन्होंने दिल्ली में पैदा किए तो कौन*। शायद वे हालात कोर्ट की वजह से पैदा हुए हों, लेकिन वह बाद की चीज़ है, किन्तु अगर उस समय की सरकार जागरूक होती, उस समय की सरकार को यह मालूम होता कि हमने जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाने हैं या फिर जनता में और दिल्ली वालों में उनकी कोई दिलचस्पी होती तो शायद आज हालात यहां तक नहीं आते, जहां तक आज वे पहुंचे हैं।

मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि जो लोग अलग-अलग समय पर, अलग-अलग बातें करते रहे हैं, वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस समय यहां पर पहला डिस्कशन हुआ, उस समय इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की थीं। सुषमा स्वराज जी उस समय यहां पर मौजूद थीं और तब मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जब हम इन बातों को उठा रहे होते हैं, उस समय तो आप चुप बैठती हैं, उसके बाद जनता में जाकर कुछ कहती हैं, बाहर कुछ कहती हैं और अंदर कुछ कहती हैं। इसलिए मंत्री जी आज अच्छा है कि वे यहां पर नहीं हैं। कम से हम खुले तौर पर अपनी बात आपसे कह सकते हैं और आपको यह अहसास करा सकते हैं कि दिल्ली वाले हमेशा कांग्रेस की तरफ देखते रहे हैं कांग्रेस ने हमेशा दिल्ली वालों को पनाह दी है। जब भी दिल्ली में कोई तकलीफ़ हुई है, तो हमारे जो भी प्रधान मंत्री रहे हैं, चाहे वह इन्दिरा जी रही हों, चाहे राजीव जी रहे हों, उन्होंने हमेशा दिल्ली वालों को संरक्षण दिया है। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय दिल्ली में हैजा फैला था तो दिल्ली का या हिन्दुस्तान का कोई भी नेता उन गरीब आदमियों की बस्तियों में नहीं गया, केवल राजीव गांधी और सोनिया गांधी आठ घंटे तक पैदल नंद नगरी वगैरह में घूमे थे और इस बात को सोचे बगैर घूमे थे कि कहीं वह हैजा उनको भी न हो जाए। सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने वहां पर पद-यात्रा की। इसलिए यह दिल्ली आपकी दिल्ली है और दिल्ली वाले बड़ी आशा भरी निगाह से आपकी तरफ देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी कदम आप उठाएंगे, वह उन्हें सहूलियत देने के लिए ही उठाएंगे।

सर, पहले जब डिस्कशन हुआ, उस समय मेरा सबसे पहला प्वाइंट यह था कि आप यहां जो कानून पास करते हैं या जो बिल पास करते हैं, आखिर उसका क्या होगा? मैंने जो शक जाहिर किया था, उसके बारे में पेपर्स में भी कुछ आया था कि इस बात को कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा। सर, कहीं न कहीं यह लाइन डॉ होनी ही चाहिए। इतनी बड़ी दिल्ली कोई एक ही दिन में नहीं बसी। यह किसी नक्शे पर बनी हुई चीज़ नहीं है कि जब चाहें आप लकीर खींच कर किसी मकान को छोटा या बड़ा कर दें। आप तो यह भी नहीं कर सकते कि पहले इस नक्शे पर बना लें और फिर इस दिल्ली को बसाया जाए। शायद दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है, जिसका नक्शा पहले बना हो और वह शहर बाद में बसा हो, फिर चाहे आप न्यूयॉर्क ले लें या ऐसे किसी अन्य बड़े शहर को ले लें। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि

अगर यह नहीं हो सकता है तो आप बसे हुए शहर को किसी नक्शे में कैसे समेट सकते हैं? आपकी तरफ हम क्यों देखते हैं, क्योंकि दिल्ली बसी हुई है। समय-समय पर उसका मास्टर प्लान आता रहा और यहां पर लोग बढ़ते रहे, आबादी बढ़ती रही, बाहर से लोग आते रहे और लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए। जहां पर प्राइवेट जमीनें थीं, उनको ले कर मकान बनाए गए और सैंकड़ों वर्षों बाद आज हम दिल्ली की इस स्थिति में आए हैं। ऐसे में यह कोर्ट क्या चाहता है? क्या एक दिन के अंदर इसे बदला जा सकता है?

उपसभापति जी, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। राज्य सभा, लोक सभा या लैजिस्लेटिव असैम्बली, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाउस हैं। अगर वे कोई बात कहते हैं, तो उनकी बात का कोई वजन होना चाहिए, बनिस्पत इसके कि कोई एक व्यक्ति किसी कोर्ट में बैठ कर यह फैसला दे दे कि नहीं, हमें तो दिल्ली को आज ही सुधारना है और सारी की सारी चीज आज ही हो जानी चाहिए। 500 साल की बसी हुई दिल्ली, पांच दिन के अंदर ही ठीक हो जानी चाहिए, मैं यह बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। लेकिन मंत्री जी मैं यह जरूर चाहता हूं, साथ ही, उपसभापति महोदय, इस संबंध में मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूं कि कहीं न कहीं आपकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोर्ट को यह अहसास हो कि जो लोग यहां बैठ कर बिल पास करते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जिनको वोट नहीं मांगने, वे कह सकते हैं कि तोड़ दो, लेकिन हम जिनसे वोट मांग कर आते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि उनका मकान तोड़ दो। हमारी दिलचस्पी, हमारा दिल उन लोगों के साथ है, जिनके मकान वहां बने हुए हैं और जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है।

सर, आप इसका रास्ता किस तरह निकालेंगे, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी इस बात को कैबिनेट में या प्रधान मंत्री जी के पास रखा जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम फैसलों का इंतजार करते रहें कि हमारे पास किए हुए बिलों के ऊपर कोर्ट क्या कहेगा। किसी भी सूरत में कोर्ट को क्या अख्तियार है कि हमारे पास किए हुए बिल के लिए वह यह कह दे कि इसे एक दिन में ठीक करके लाइए। सर, मास्टर प्लान कोई छोटा डॉक्युमैंट नहीं होता। मास्टर प्लान समय से आना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का यह कहना कि आप एकदम मास्टर प्लान कोर्ट के अंदर दाखिल करें, यह बात सही नहीं मानी जा सकती। उसका एक प्रोसेस है। मास्टर प्लान बहुत बड़ा डाक्युमैंट है, जोकि 20 साल का future document होता है। उसे डी०डी०ए० बनाता है। उस में सब का दिमाग लगता है। उसके बाद उसे दिल्ली वालों के objection के लिए रखते हैं कि इस में किसी को कोई आब्जेक्शन हो या कोई गलत चीज हो तो बताए या एतराज करें। सर, डी०डी०ए० की एक बॉडी है, वह इलेक्टेड बॉडी है, वह डी०डी०ए० की एडवायजरी बॉडी है, उस में लेजिस्लेटिव के इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स होते हैं, जो इसे देखते हैं, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से यह कहने की जल्दी की कि आज ही इस डॉक्युमैंट को दाखिल होना चाहिए, वरना हम किसी बिल को नहीं मानेंगे। इस पर मुझे बहुत सख्त एतराज है। सर, मैंने पहले भी बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया था और मुझे मालूम नहीं मेरा क्या हश्र होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति, जिस का जिक्र शरद यादव जी ने भी किया कि क्या हुआ, क्यों हुए ये सारे फैसले और यह क्या तरीका है कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं किसी कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने लगे कि तोड़ दो, मिटा दो, मार दो, छज्जे तोड़ दो, मकान तोड़ दो, फार्म हाउसेस सील कर दो, हॉस्पीटल सील कर दो, डिस्पैंसरीज सील कर दो। who are you? फिर क्या हाल हुआ लोगों का। सर, क्या इंसान रोता नहीं है? इंसान रोता है जब उस की दुकान बंद होती है। कहना आसान है कि दुकान सील कर दो। सर, पता नहीं आदमी कहां से पैसे लाता है, कहां से माल खरीदता है, माल बेचता है, फिर उसका उधार चुकाता है तब जाकर उस की दुकान चलती है। क्या दुकान ऐसे ही चलती है? वह सरकारी दुकान थोड़े ही है कि वहां अफसर बैठा है, नौकरी करता है, उसे तनख्वाह मिल जाती है और उसका काम चल रहा है। आदमी अपना खून-पसीना बहाता है तब जाकर पैसा बनाता है, अपने बच्चों की फीस भरता है और अपने बीवी-बच्चों व मां-बाप को रोटी देता है। इसलिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप कुछ-न-कुछ रास्ता जरूर निकालें। मुझे पता नहीं, आज आप इसे पास कर रहे हैं और इस का कोर्ट में क्या हश्र होने वाला है। पिछली बार भी आप ने कहा था कि सालभर के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। यही तो था, आप कौन सा दिल्ली को पास कर रहे थे? उस को इन्होंने मना कर दिया कि हम इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे। इसलिए मैं यह जरूर चाहता हूं कि आप का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि लेजिस्लेटर बड़ा है, कोर्ट बड़ी है, जुडिसियरी बड़ी है, वह ज्यादा बड़े हैं या हम ज्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी दोनों के बीच होनी चाहिए, एक रोक होनी चाहिए। दिल्ली बसाना आप का काम है, कानून की व्याख्या करना उनका काम है। मास्टर प्लान लेकर

दिल्ली को बसाना उनका काम नहीं है, वह सरकार का काम होता है और वह काम आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस में जरूर मजबूत रहें और मजबूत इरादों से कार्य करें।

सर, उस के साथ उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जिस का मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था। आप देखिए, उस मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली की क्या हालत कर दी। एन॰डी॰एम॰सी॰ बेकार कर दी, दिल्ली म्युनैसिपल कॉर्पोरेशन बेकार कर दी, दिल्ली एसेंबली बेकार कर दी। उन्होंने 5 आदमी तय कर दिए कि ये 5 आदमी दिल्ली को देखेंगे कि किस का मकान टूटेगा और किसका रहेगा। सर, यह क्या तरीका है? जिन लोगों को दिल्ली के बारे में कुछ मालूम नहीं, जिन्होंने दिल्ली के किसी काम में कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी participate नहीं किया, वह तय कर रहे हैं। ये भूरेलाल, ऊषा मेहरा और कोई राव– इनकी कमेटी बना दी जिनका तरीका डिक्टेटरशिप है। सारे कोर्ट्स के पावर्स उन को दे दिए। सर, मैं मान जाता कि कोई एडवायजरी बॉडी बना दी और वह यह कहे कि आप हमें अपनी राय कोर्ट में दो। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चहिए। सर, वे लाइट पर जाते हैं और कहते हैं कि इस मकान को तोड़ दो। सर, बगैर नोटिस के मकान तोड़े जा रहे हैं। कोर्ट ने ये कौन से डिक्टेटर बना दिए? इन का यह क्या तरीका है? कौन हैं ये लोग और इन को ये पावर्स कैसे मिल गए? मैं मान जाता, वह कोर्ट के अंदर यह कहें कि हम यह चाहते हैं कि यह मकान गलत बना हुआ है, इसे तोड़ देना चाहिए। कोर्ट सरकार को यह कहे कि यह गलत बना हुआ है, आप इसको तोड़ दो, लेकिन वह राव, भूरेलाल या ऊषा मेहरा कौन होते हैं यह कहने वाले कि किसी के मकान को तोड़ दिया जाए। सर, इस मॉनीटरिंग कमेटी पर कितना पैसा खर्च हुआ और उस पैसे को कौन दे रहा है? सर, उस के अंदर हर रोज एक आदमी की तनख्वाह 5 हजार रुपए है, उस के लिए बहुत बड़ा ऑफिस बनाकर दे दिया गया है, उन के लाखों-करोड़ों रुपए के खर्चे हो रहे हैं। कौन हैं ये लोग? वहां से आ गए? क्यों नहीं सरकार इनको रोकती? कोर्ट में क्यों नहीं कहती कि आप मोनेटरिंग कमेटी बनाने वाले कौन होते हैं? अब जिसकी जो मर्जी आए, चाहे जो फैसला करवा रहे हैं। उधर वहां यमुना बाजार चले गए, वहां जाकर कह दिया कि सारे घाट तोड़ दो, मैं कहता हूं कि तोड़ दो। ये बड़े ठेकेदार बन गए। तो मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको देखेंगे। यह आपका न्यूज-पेपर्स में भी आता है, आपकी इतनी बड़ी मिनिस्टरी है, मिनिस्टरी को भी देखना चाहिए कि यह क्या तरीका है? क्या दिल्ली आपकी है, अगर आप दखल नहीं देंगे, तो इसमें कौन दखल देगा?

महोदय, मैं दिल्ली सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे समय में कोआपरेशन रही, यहां हमारी बड़ी सरकार भी है, जिन्होंने जो भी तकलीफे आईं, समय-समय पर उनको दूर करने के लिए अच्छे कदम उठाए। आपने सड़कें नोटिफाइ कीं, आपने कोशिश की कि लोगों को राहत मिले, आपने यह भी कहा कि रेगुलराइज करेंगे, हालांकि मैं उसके खिलाफ था, जब मैंने आपसे सवाल किया था, मेरा मानना यह था कि दिल्ली कांग्रेस में हमने यह पास किया था कि कोई पैसा न लिया जाए और उन कालोनियों को आप रेगुलराइज करें। आपकों उसमें जो खर्चा करना है, वह खर्चा करें, वैसे सरकार और भी बहुत सारे खर्चे करती है। तो हमारा, दिल्ली कांग्रेस का मानना यह था कि आप दिल्ली को एज इट इज पास करें और यदि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए जगह चाहिए, तो आप वह जगह लें, मगर आप जिनको हटाएं, उनको अल्टरनेटिव साइट दे दें। ऐसा हमारा मानना था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप रिव्यू कर सकते हों, आपने पैसे कम किए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो ऑरिजनल चार्जेज लगाए थे, आपने उसको कम करके 20 परसेंट या कुछ कर दिया, फिर भी मैं कहूंगा कि दिल्ली वाले गरीब हैं, दिल्ली वाले अमीर नहीं हैं, इसलिए मैं आशा करुंगा कि आप हमारी तरफ देखेंगे, दिल्ली में जो गरीब रहते हैं उनकी ओर आपकी निगाह रहेगी और आप जो कम कर सकते हों, कम करें या बिल्कुल माफ कर सकते हों तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। मेरी आपसे दुबारा दरख्वास्त होगी कि आप इस तरफ अपना जरूर ध्यान दें।

महोदय, उसके बाद आपने कई सड़कों को नोटिफाइ भी कियां, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। अब पता नहीं यह किसने सिलसिला शुरू किया कि कितनी चौड़ी सड़क पर दुकान रहनी चाहिए, कितनी पर नहीं रहनी चाहिए। यह तो कहीं भी नहीं होता, जहां भी रेजिडेन्शियल एरिया हैं, वहां दुकानें होती हैं। इतने बड़े-बड़े लंबे मार्केट हैं, जैसे साउथ एक्सटेंशन, करोल बाग, सदर बाजार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश-पार्ट वन, ये इतने बड़े मार्केट हैं, जो आज वर्ल्ड फेम के मार्केट हैं। यहां पर कोई भी हिंदुस्तान के किसी कोने से आता है या दुनिया के किसी हिस्से से आता है, उसको मालूम होता है कि अगर वह चांदनी चौक जाएगा, तो उसे सारे होलसेल मार्केट मिलेंगे और सबसे सस्ते दाम की और सब तरह की चीज मिलेंगी। आप आज उसे कैसे बंद कर सकते हैं? एक बार किसी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि सदर बाजार भी यहां से शिफ्ट कर दिया जाए। आपको यह मालूम होगा, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। अब करोल

बाग मार्केट जो है, क्या आज वह बंद हो सकता है? ऊपर से नीचे तक पूरा कॉमर्शियल मार्केट, वर्ल्ड फेम का मार्केट है, वहां पूरा साड़ियों का, सिल्क का और दूसरा बड़ा व्यापार होता है। साउथ एक्सटेंशन का मार्केट भी कोई छोटा मार्केट नहीं है। आप जिस कालोनी में चले जाएं, हर जगह दुकानें हैं। सर, आपकी नीति रही है, यह सोशल वेलफेयर स्टेट है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों, तब मैं जाकर दुकान लूं और उसके अंदर अपना सामान रखकर सामान बेचूं। यह पोसिबल नहीं है। इंदिरा जी ने तो यहां तक किया था कि मकानों के अंदर आप छोटे घरेलू उद्योग लगाएं, हम आपको बिजली और पानी देंगे, ताकि लोग एंपलायमेंट ले सकें और यह कोर्ट यह कहती है कि इतनी चौड़ी सड़क पर दुकान होगी तो मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। मुझे इस पर सख्त एतराज है और मैं आशा करता हूं कि आप भी उसे नहीं मानेंगे और आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जिनकी दुकानें उस पर हैं। इस सड़क की चौड़ाई से दुकानों का कोई संबंध नहीं है। उस लोकेलिटी में उन दुकानों की क्या गिनती है, उससे उन दुकानों का संबंध है। क्या आदमी 50 किलोमीटर दूर कोई माल या अपना सामान खरीदने जाएगा? मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति हो, तो उस पर आपके मंत्रालय को कदम उठाना चाहिए।

महोदय, आप यह जो बिल ला रहे हैं, इससे क्या हमारी दुकानें खुलेंगी, जिनको सील कर दिया गया है? उनकी क्या स्थिति रहेगी, जिनके मकान तोड़ रहे हैं या सील कर रहे हैं या दुकानें सील कर रहे हैं? इस बिल में आपने यह तो कह दिया कि *status quo* रहेगा। *status quo* रहने से तो वह सील रहेगी, वह सील नहीं खुलने वाली। वह तो कहेंगे कि आपने *status quo* माना है, तो फिर जिनकी दुकानें बंद हैं वे बंद रहेंगी और जिनकी खुली हुई हैं उनकी खुली रहेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी दुकानें सील हुई हैं, वे गलत हुई हैं, बेजा हुई हैं, उन दुकान वालों का हरेसमेंट हो रहा है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल के साथ आप कोई अमेंडमेंट लाएं या कोई एक्सप्लेनेशन दें, ताकि वे दुकानें जरूर खुलनी चाहिए और तभी दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, वरना राहत नहीं मिलेगी

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि मकान के छज्जे वगैरह के बारे में आज भी आया है कि उनके छज्जे तोड़ दिए जाएंगे या 15 मीटर से ऊपर के मकान का जो आपने कहा है, unauthorised colonies को regularise करने का। अभी 1400, 1500 unauthorised colonies हैं और इनको regularise करने की मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है, यह जेन्युअन मांग है। 1500 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। आपने भी कहा और बहुत साफ तौर पर कहा, बल्कि हमने तो आपको हार भी पहनाया तालकटोरा स्टेडियम में बुलाकर आपका सम्मान भी किया, इसलिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इनको regularise करके पास करें, ताकि जनता को राहत मिले और वह जय-जयकार करे। जनता कांग्रेस के पोस्टर लगाए, सोनिया गांधी जिन्दाबाद, मनमोहन सिंह जिन्दाबाद, जयपाल रेड्डी जिन्दाबाद का नारा लगाए, तब हमें राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूं, एक तो वह कि जो formalities हैं उनको आप जल्दी पूरा करा देंगे, ताकि उनको एकदम से पता लगे कि हमें मालिकाना हुकूक मिल गया है। दूसरे, ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): जो नारा नहीं लगाएंगे, उन्हें राहत नहीं मिलेगी?

†[شری شاہد صدیقی : جو نعرہ نہیں لگائیں گے، انہیں راحت نہیں ملے گی؟]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: राहत देंगे, तभी तो नारा लगवाएंगे, इसीलिए तो खड़े हैं हम।

श्री शाहिद सिद्दिकी: जो तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, उनका ...(व्यवधान)...

†[شری شاہد صدیقی : جو توڑنے کے لئے ذمہ دار تھے، ان کا مداخلت۔]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: वे सामने थे, वे आज गए। जो जिम्मेदार हैं, उनमें से आज कोई भी यहां पर नहीं है।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): सिद्दिकी जो उनके भी रिप्रजेंटेटिव हैं।

श्री उपसभापति: आपके भी हैं।

† [Transliteration in Urdu Script.]

श्री शाहिद सिद्दिकी: हम तो उनके भी हैं, आपके भी हैं, दिल्ली में रहने वाला जो भी है, हम उनके रिप्रजेंटेटिव हैं।

شری شاہد صدیقی : ہم تو ان کے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، دہلی میں رہنے والا جو بھی ہے، ہم ان کے ریپریزینٹیٹو ہیں۔

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: जयपाल रेड्डी साहब, मैं यह कहना चाहता था कि वहां पर जो काम होने वाले हैं, एक तो वे कॉलोनियां regularies हों और उनको मालिकाना हुकूक मिले और उसके बाद बिजली, पानी सड़क, सीवर आदि, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं या civic amenities हैं या जो डिस्पेंसरीज़ या स्कूल वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें भी उस पैकेज के अंदर शामिल होनी चाहिएं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1500 कॉलोनियों के पूरे डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और वह पैसा कैसे सैंट्रल गवर्नमेंट हमारी दिल्ली सरकार को देगी, ताकि हम उनमें काम कराएं, आप भी उनमें काम कराएं, डीडीए उनमें काम कराए और कौन सी बेसिक सुविधाएं देगी, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। एक लफ्ज़ जरूर अच्छा लगता है कि हम 1500 कॉलोनियों को पास कर रहे हैं, कर देनी चाहिए। पिछले 15 सालों से यह बात बार-बार कही जाती है कि हम इन कॉलोनियों को पास कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब इस सरकार को तीन साल हो चुके हैं, आपको आज इस बारे में बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि हमने उनको पास कर दिया और इस तारीख को उनको मालिकाना हुकूक मिल जाएंगे और इस तारीख को उनमें काम शुरू हो जाएंगे–सड़कें, सीवर वगैरह जो civic amenities के काम हैं।

इसके बाद झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम दिल्ली सरकार ने पास की, उनको रहने के लिए आवास दे रहे हैं, अल्टरनेटिव साइट दे रहे हैं, हटाने से पहले। उनके लिए बड़े अच्छे क्वार्टर्स बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन अभी दो महीने पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में एक भी आदमी झुग्गी-झोंपड़ी में न रहे और यह आपका वायदा भी है। आपने यह कहा कि हम एक लाख मकान उनको बनाकर देंगे, दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं होगी, बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि उसके लिए जो पैसे का प्रबंध करना है, जो स्कीम है वह जल्दी से जल्दी पास होगी। उसमें ऐसा करें कि जो humane हो, यह न हो कि वे एक झुग्गी में से निकलें और दूसरी झुग्गी में पहुंच जाएं। उनका परिवार होता है, तो चाहे आप छोटे-छोटे दो कमरें दें, लेकिन ऐसे दें जहां कि वे अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रह सकें।

इसी तरह से पटरी वालों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आपने इसमें कहा है कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आप इसमें कहीं नहीं कह रहे कि हम उन्हें दुकानें बनाकर देंगे। दिल्ली कांग्रेस पिछले तीस साल से पटरी वालों से वायदा करती आ रही है कि हम आपको दुकान देंगे, लेकिन चांदनी चौक से आपने बहुत सारे लोगों को हटा दिया और वे आज तक बे-दुकान हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, आप और भी मंडियां बसा रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि हम चांदनी चौक से मार्किट हटाकर दूसरी जगह ले जाएंगे, तो बजाए उन मार्किट्स को हटाने के आप इनको, गरीब आदमियों को वह दुकानें दें। ये गरीब आदमी हैं, हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आए, अगर आप भी इन्हें दुकानें नहीं देंगे तो कौन देगा? कांग्रेस की जब सरकार आती है तो उससे लोगों को उम्मीद होती है। सबसे ज्यादा गरीब आदमी उछलता है कि मेरी सरकार आ गई, अब मुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम उसकी तरफ नहीं देख पाते तो उनके हाथ निराशा लगेगी। आज वक्त है, आपने बड़ा अच्छा फैसला JJ Cluster का किया, उसी तरह के फैसले की उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप उनके लिए भी वैसा ही एक फैसला करेंगे।

इसके बाद जो 15 मीटर से ऊपर के मकान हैं, उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। फीता लेकर नहीं नापा जा सकता, यह बड़ा मुश्किल काम है। 15 मीटर से ऊपर का मकान होगा तो उसे तोड़ देंगे, रेगुलराइज़ नहीं करेंगे! जब आप जनरल amnesty दे रहे हैं, जब आप जनरल यह कह रहे हैं कि हम कोई चीज नहीं तोडेंगे तो उसके अंदर 15 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर मायने नहीं रखता। मैं आशा करता हूं कि इस पाबंदी को आप हटाएंगे और कोर्ट में भी affidavit देंगे कि 15 मीटर कोई मायने नहीं रखता। आपके यहां नक्शा पास कराने में इतनी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से सारी परेशानी होती है। आप कोई नया कायदा बनाइए, दुनिया कहां से कहां निकल गई है, आप अखबार में दे दीजिए कि नक्शे का यह प्रारूप होगा, कमरे का मिनिमम साईज़ यह होगा, अगर वह बड़ा बनाता है, तो क्या मुसीबत आ जाएगी? आप minimum requirement बताकर खुला छोड़ दें और building by-laws को simplify करें, तब काम होगा।

आप हाउस टैक्स के लिए यूनिट एरिया प्रणाली लाएं, इससे लोग आज बहुत खुश हैं। इसी तरह से आप इसके ऊपर भी जोर दें, ताकि यह सिलसिला बंद हो। मैं आशा करता हूं कि 15 मीटर वाली पाबंदी जो आपने रखी है, यह नहीं मानी जानी चाहिए और यह लागू भी नहीं की जा सकती।

इसके बाद यह सवाल आता है कि आप दिल्ली का क्या रूप रखना चाहते हैं। अभी आपने अपने बिल में सिर्फ तीन बातों के लिए कहा है, लेकिन आप यह तो सोच रहे होंगे कि कैसी दिल्ली बनेगी। मैं एक Advisory Committee में बैठा था और वहां जो अफसर बैठे थे, उन्होंने बड़ी आहिस्ता से कहा कि नहीं साहब, बड़ी buildings नहीं बन सकती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां सौ-सौ मंज़िला buildings बन रही हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं बन सकतीं? क्या हमारा ऐसा कोई vision नहीं है, क्या हमें मालूम नहीं है कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं, क्या यह अंडमान-निकोबार है? हमारी दिल्ली कैसी हो, दुनिया के नक्शे पर दिल्ली का नाम हो, बार-बार हम कहते हैं कि हम सबसे बढ़िया दिल्ली बसाना चाहते हैं, लेकिन vision क्या है हमारा? आज सिर्फ बाराखंभा रोड पर एक 20-25 मंज़िला building बनाने से हम यह कह दें कि हम बड़े समझदार हो गए हैं, यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दुनिया में 30 साल पहले मैट्रो आ गई, हम आज लाए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कांग्रेस सरकार को, अगर उनकी पहल नहीं होती, तो शायद मैट्रो इतनी जल्दी नहीं आती। राजीव गांधी जी का सपना था, इसलिए मैट्रो आई, उसको बीच में रोक दिया गया था।

इसी तरह आज दुनिया के बड़े-बड़े शहरों को आप जाकर देखिए फ्रैंकफर्ट को देखिए, वे शहर को 5 किलोमीटर पीछे ले गए और ऐसा डेवलप किया कि आज दुनिया के लोग वहां जाते हैं, आप सिंगापुर चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप चीन चले जाएं, आप बीजिंग चले जाएं, आप शंघाई चले जाएं, आप जाकर देखिए कि कैसे शहर बसाए जाते हैं। तो कोई vision आपके अफसरों का होना चाहिए, आप उन्हें थोड़ा खुला छोड़ें, उन्हें पैसे वगैरह दें, वे देखकर आएं कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। हम वही छोटी-छोटी buildings बनाकर खुश हो जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या बना दिया। मैं आशा करता हूं कि आपके रहते हुए तो कम से कम यह जरूर होना चाहिए (समय की घंटी)।

उपसभापति महोदय, उनका हिस्सा भी मुझे दे दीजिए, आज सामने के बेंचेज़ खाली हैं।

श्री उपसभापति: हिस्सेदार बहुत बन गए हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: वह पुरानी दिल्ली है, जहां से सारी दिल्ली शुरू हुई, उसकी तरफ भी आप जरूर देखें। यह एक गुलदस्ता है, आज वहां पांच-पांच, सात-सात पीढ़ी के लोग रहते हैं। वहां की पतली-पतली गलियां, वह पुराना माहौल, वह गंगा-ज़मुनी तहज़ीब, वहां का जो हिसाब है, वह नए building by-laws से suit नहीं करता। वहां 100 परसेंट कवरेज के मकान बने हुए हैं, वहां हमेशा ऊपर रिहाइश रही है और नीचे दुकान रही है तथा जो वहां के बाज़ार हैं, वे बदले नहीं जा सकते। आज बार-बार उन पर तलवार लटकाई जाती है कि इनको हटा दो, इनको भेज दो। ये कभी पेपर मार्केट को नोटिस भेजते हैं, कभी कैमिकल मार्केट को नोटिस भेजते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इसके लिए आप अलग से एक बोर्ड बना दें, वहां के रहने वाले लोग उस बोर्ड के मेंबर हों और वे elected आदमी यह देखें कि हम शहर में क्या चाहते हैं। कई बार कोई कह देता है कि चांदनी चौक को बंद कर दो, चांदनी चौक का मतलब वह चांदनी चौक की सड़क नहीं है, चांदनी चौक का मतलब है कि उस चारदीवारी के अंदर हमारे जो 5-6 गेट हैं–दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट- इनके बीच की जो दिल्ली है, उसे चांदनी चौक कहते हैं। तो हमारा क्या vision है उसके बारे में, उन लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है कि उनके मकान दोबारा बनें। वहां पर 100-125 साल पुराने मकान हैं, अगर उनको तोड़कर नहीं बनाएं, तो वे गिरते हैं और अगर वे बनाते हैं तो unauthorised बनाते हैं, अगर unauthorised बनाते हैं, तो उनके ऊपर सबकी तलवार लटकती है। मैं आशा करता हूं कि इसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे। यह खूबसूरत जगह है, यह खूबसूरत बनी रहे इसके लिए ASI के हिसाब से या जैसे भी आप चाहें, कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि उन्हें राहत मिले और वे कोई परेशानी न महसूस करें। फार्म हाउसेज के बारे में अभी आपने कोई पोलिसी नहीं लिया है। मैं आशा करता हूं कि जो फार्म हाउसेज बन गए, वह बन गए, यह हमारे दिल्ली के कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और बाकियों को भी, जो भी उसे तब्दील करके फार्म हाउस का नक्शा पास कराना चाहता है, फार्म हाउस का पोलिसी और चीजों से अलग होनी चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो भी वह बनेंगे, आपने नहीं दिया, तब भी वह बना, आज उसको पास करें और पास करके जो खाली है, वहां शादियां

होती है या और इस्तेमाल होती है, उसको होने दें और कोर्ट का जो ऑर्डर था कि 15 या 30 मीटर, कितनी चौड़ी सड़क होगी, उसके बाद वह इस्तेमाल होगा, उसमें और कोई पाबंदी लगाएं, लेकिन फार्म हाउसेज के कल्चर को खत्म न होने दें, उनके नक्शे जरूर पास होने चाहिएं या यह हो सकता है कि वहां किसी के पास फार्म हाउस की जमीन है और वह वहां इंस्टिट्यूशन खोलना चाहता है या हॉस्पीटल खोलना चाहता है तो उसकी इजाजत भी उसको मिलनी चाहिए, आज इसकी जरूरत है। आप दिल्ली में किसी भी इंस्टिट्यूट खोलने के लिए शायद पचास करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दे रहे हैं, पचास करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन लेकर कौन दिल्ली में स्कूल खोलेंगे, किसके पास इतना पैसा है कि पहले इतना पैसा लगाए, फिर तो वही होगा कि जो बड़े-बड़े पैसे वाले ठेकेदार हैं, सरमायेदार लोग हैं, वही स्कूल खोल पाएंगे और अगर वह खोलेंगे तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा लेने के लिए उसका पांच हजार रुपए महीना फीस देनी पड़ेगी या दस हजार रुपया महीना फीस देनी पड़ेगी...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, लाखों में फीस है।

†[شری شاہد صدیقی : سر لاکھوں میں فیس ہے۔]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: यह पैसा सही नहीं है, आप अपनी जमीन पचास करोड़ एकड़ के हिसाब से बेचें, यह अलग बात है, लेकिन जिनके पास अपनी जमीन है, उनकी जमीन को बदलने के लिए, उनका लैण्ड यूज चेंज करने के लिए आपको रियायत देनी चाहिए और परमानेंट रियायत होनी चाहिए, यह नहीं कि इस तारीख से इस तारीख तक होगी तभी यह रियायत मंजूर होगी, वरना नहीं होगी।

दूसरा, आज दिल्ली में गेस्ट हाउसेज बहुत हैं, उनकी भी बहुत मुसीबत है, लोग बड़े-बड़े होटलों में नहीं रहते हैं, छोटे-छोटे तीन सौ, पांच सौ रुपए का कमरा होता है, पता नहीं कहां से आता है, धर्मशालाएं हमारे यहां नहीं हैं, तो मैं आशा करता हूं कि उनके लिए भी, आपने अपने पिछले भाषण में भी नहीं कहा था, इस बार कोई ऐसी नीति बनाएं ताकि जो गेस्ट हाउसेज पहाड़गंज के हैं, करोलबाग के हैं, जो अभी तक बन गए हैं, लोग रहते हैं, डेवलप हो चुका है, लैण्ड यूज बदल चुका है, उनको तो रेगुलराइज करें, आप लाईसेंस फीस लें, कौन मना करता है?

श्री उपसभापति: अग्रवाल जी, अभी आपकी पार्टी के और लोग बोलने वाले हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक-दो और रह गया है। मिक्स्ड लैण्ड यूज, जिसमें प्रोफेशनल लोग हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी राहत मिले, पहले उन्होंने कहा कि कोर्ट में कहा कि 25 परसेंट में अगर काम करेंगे तो हम उनको रेगुलराइज करेंगे, यह सही नहीं है। वहां कौन-सी फैक्ट्री चल रही है, वकील कोई फैक्ट्री चलाएंगे, आर्किटेक्ट कोई फैक्ट्री चलाएंगे, जब आप consultant हैं, इस तरह के प्रोफेशनल हैं, उनके अंदर तो लोग आएंगे, जाएंगे, तो उसके अंदर इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए और मिक्स्ड लैण्ड यूज की परिभाषा भी सही होनी चाहिए। उसके अंदर आप फैक्ट्री को अलग करें, दुकानों को अलग करें, प्रोफेशनल लोगों को अलग करें और उनको अलग-अलग तरीके से, क्या उनकी सुविधा हो सकती है, वह आप करें। जैसे आज सुबह भी आपने बेसमेंट की बात कही, बेसमेंट को अगर आप पार्किंग के लिए लागू करें और नए नक्शे जो पास हो रहे हैं, उसके अंदर बेसमेंट को आप allow करें, बगैर किसी compounding मिम के आप बेसमेंट allow करें तो बेसमेंट से सबकी पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी, आज हमारे सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं आशा करता हूं कि इस तरफ भी आपका ध्यान जरूर जाएगा।

सैनिक फार्म पर शायद प्रभा जी कहना चाहती हैं, उसमें मैंने एक कागज पढ़ा था जिसमें आपने लिखा कि उसमें बहुत बड़े-बड़े आदमी रहते हैं, दिल्ली में कौन-सी ऐसी कालोनी है जहां बड़े-बड़े आदमी नहीं रहते हैं। सर, आज उसके सामने साकेत है, आप साकेत की हालत को देख लीजिए, और कितनी कॉलोनियां हैं, जोर बाग क्या कम है, या खान मार्केट के पास जो कालोनियां हैं, वह कम है, सारी दिल्ली में है। जमीन के दाम बढ़ेंगे तो वहां भी बढ़ेंगे, वहां भी गरीब आदमी रहते हैं। तकरीबन पचास परसेंट कालोनी आप किसी नाम से या किसी और के नाम से रेगुलराइज करें और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसका रह गया है तो मैं आशा करता हूं कि जब आप पन्द्रह सौ कोलोनीज पास कर रहे हैं तो किसी एक कालोनी को identify करके यह कहना कि वहां पैसे वाले लोग रहते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, यह सही नहीं है और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें उसको बदलेंगे। सर, वेयर हाउस के बारे में एक और प्वाइंट है कि जिनकी दुकाने हैं, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, होलसेल मार्केट हैं, उनके वेयर हाउस हैं, जैसे पेपर वाले के हैं, किराना

†[Transliteration in Urdu Script.]

वालों के हैं। तो तीस-तीस साल से वे बसे हुए हैं, आप उनको जमीन नहीं दे सकते। आपके पास जमीन है ही नहीं, आप उनको warehouses बनाकर दे नहीं सकते, तो जहां हैं और आज भी वे शहर के बीच में नहीं हैं, वे outskirts पर हैं। आप उनको वहां रेग्युलराइज करें, ताकि उनका व्यापार चलता रहे और उनको कोई तकलीफ न हो और यह एक ऐसी चीज है जो किसी के ध्यान में नहीं आई होगी, इसलिए यह प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है। दूसरे स्कूल, फार्म हाउसेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स वगैरह, इनको भी आप दें और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लैंड यूज चेंज करने के लिए... मैं आशा करता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दिकी: वे कुछ हमारे लिए छोड़ेंगे भी?

†[شری شاہد صدیقی : وہ کچھ ہمارے لئے چھوڑیں گے بھی؟]

श्री उपसभापति: वे दिल्ली वाले हैं।

श्री शाहिद सिद्दिकी: हम दिल वाले हैं।

†[شری شاہد صدیقی : ہم دل والے ہیں۔]

श्री उपसभापति: आप दिल वाले हैं, तो वे दिल्ली वाले हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप यह बिल लाए और आशा करता हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं, इनके ऊपर मजबूती से काम करेंगे, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। मुझे मालूम नहीं है कि आप कोर्ट में क्या ऐफिडेविट देंगे, लेकिन यह तय है कि जो चीज इस हाउस से पास होती है, वह सुप्रीम है, वह जनता की आवाज है और उस पर कोई compromise आप नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007, जो मंत्री जी लेकर आए हैं, उसके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा आपने अभी कहा कि आदरणीय अग्रवाल जी दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने दिल्ली के बारे में या यहां की समस्याओं के बारे में विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया है। यह सही है कि मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूं और मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय शाहिद सिद्दिकी जी को जब आप बोलने का अवसर देंगे, तो जो दिल्ली की समस्याएं हैं, जिनके लिए माननीय मंत्री जी यह विधेयक लेकर आए हैं, उस पर अपनी बात रखने का काम करेंगे। लेकिन महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में पूरे देश के लोग, हर क्षेत्र के लोग और हर राज्य के लोग अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग, इस दिल्ली में निवास करते हैं। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमाम ऐसे राज्य हैं, जहां के लोग भारी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। या तो वे यहां नौकरी करते हैं, छोटा-मोटा रोज़गार करते हैं या पटरियों के ऊपर व्यवसाय करने का काम करते हैं। जो दिल्ली की आजादपुर मंडी है, मुझे ज्ञात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम से कम सात-आठ हजार आजादपुर मंडी में पल्लेदारी करने का काम करते हैं। तो भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, जिनका नाम मैंने लिया, वहां के लोग यहां रोजी-रोजगार करने के लिए आए हुए हैं। यह सही है कि दिल्ली में आवास की समस्या है। तमाम सरकारी जमीनों पर पिछले अनेक वर्षों में अतिक्रमण हुआ, लोगों ने अपने रहने के लिए झुग्गी-झोंपड़ियां बना लीं, क्योंकि वे यहां काम करते थे। उनको सरकार, चाहे जो भी सरकार रही हो, अभी आदरणीय अग्रवाल जी मास्टर प्लान की बात कर रहे थे, आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं, किसी ने दिल्ली कैसी होनी चाहिए, या हमारे जो आने वाले सौ वर्षों में दिल्ली किस तरह की हो, उसमें दिल्ली को किस तरह से बसाने की रूपरेखा तैयार की जाए, क्या मास्टर प्लान होगा? मास्टर प्लान यहां बने जरूर, लेकिन वे टुकड़ों में बने। पांच साल के लिए बना, दस साल के लिए बना, बीस साल के लिए बना, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन है कि आपकी जो भी सोच हो,

†[Transliteration in Urdu Script.]

भविष्य को ध्यान में रखकर कि अगले पचास-सौ वर्षों में दिल्ली का क्या स्वरूप होगा... उसके बारे में एक योजना बनाने का काम करें। उपसभापति महोदय, दिल्ली में भार बढ़ा। पूरे देश से तमाम लोग यहां आए और केवल दिल्ली ही नहीं, जो हमारे अन्य महानगर हैं, चाहे मुम्बई हो या कोलकाता हो–जितने भी ऐसे महानगर हैं, उनमें लोग बेरोजगारी के कारण आए। बेरोजगारी देश की एक प्रमुख समस्या है, जिसको हम दूर नहीं कर पाए क्योंकि आज चाहे गांव हो, चाहे छोटे कस्बे हों, चाहे छोटे नगर हों, वहां बेरोजगारी इस कदर बढ़ गयी है कि लोग खेती का काम छोड़कर इन महानगरों की तरफ रुख करते हैं। गांवों से उनका पलायन हो रहा है और जब रोजगार के लिए इन बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं तो आवास की समस्या अपने आप खड़ी हो रही है। इस प्रकार एक कठिन काम आवास का होता जा रहा है। उपसभापति महोदय, आजादी के बाद देश में औद्योगिकीरण का काम शुरू हुआ और इन शहरों में उद्योग लगाने का काम हुआ। किसानों से जमीन लेकर, उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर उसमें उद्योग लगाने का काम हुआ। आज जब जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जब देश के दूसरे क्षेत्रों से लोग दिल्ली में आए, महानगरों में आए और आवास की समस्या बढ़ी या उनकी दूसरी समस्याएं बढ़ीं तो आज उद्योगों को इन महानगरों से हटाने का काम हो रहा है। ठीक है, उद्योगों को आप बंद कर रहे हैं लेकिन जो लोग उसमें रोजगार पाए हुए हैं, जो लोग उन उद्योगों में काम करते हैं, वे बेरोजगार हो रहे हैं और इस प्रकार बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ रही है। उपसभापति महोदय, अभी माननीय अग्रवाल जी बोल रहे थे कि दो महीने पहले माननीय सोनिया गांधी जी ने झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए स्टोन रखने का काम किया। महोदय, चुनाव आ रहे हैं। इनकी सरकार चार साल से काम कर रही है। इन झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, चार साल तक इनका ध्यान उधर नहीं गया कि झुग्गी-झोंपड़ी वाले कैसे रहते हैं, इनकी जिंदगी कितनी कष्टमय है। अभी हैजे की बात हो रही थी। तमाम स्वास्थ्य के खतरे हैं। अब जाकर, जब चुनाव होने को हैं, तब वहां स्टोन रखने का काम किया गया है। ये हर साल एक लाख मकान देने की बात करते थे लेकिन दिल्ली सरकार या डीडीए आज तक एक भी फ्लैट इन झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों को नहीं दे सकी।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 1500 अवैध कालोनियां, जो अनआथोराइज्ड रूप से बन गयी थीं, उनको नियमित करने का काम किया है। उन्होंने इन्हें नियमित तो कर दिया लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, उसके अनुसार, आज भी जो इनका नक्शा है, वह पास नहीं हो पा रहा है। उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा पिछले समय में हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि तमाम दुकानों पर सील लग गयी, लगभग बीस हजार दुकानों पर सील लगाने का काम हुआ। कहा गया कि ये अवैध रूप से चल रही थीं। अभी भी करीब एक लाख सील और इन दुकानों पर लगनी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह विधेयक लाए हैं, तो जिन दुकानों पर सील लग गयी है, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, जिनकी रोजी-रोटी छिन गयी है, उनको पुन: खोलने का काम करेंगे या नहीं? इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया कि दिल्ली में जो चौथी और पांचवीं मंजिल के मकान हैं, उनको गिरा दिया जाएगा–माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई उपाय निकालें कि जो निर्माण हो गए हैं, उनको गिराया न जाए। क्योंकि बड़ी मेहनत से और एक-एक रुपया इकट्ठा करके कोई व्यक्ति फ्लैट लेता है या मकान बनाता है, तो ऐसी स्थिति में इनके मकानों की जो चौथी और पांचवीं मंजिल है, वह न गिराई जाए। अन्त में, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि दिल्ली महानगर के अगल-बगल में आसपास के जो नगर हैं, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, इसमें जो किसानों की जमीन हैं, यहां पर सीधे बिल्डर्स को देने का काम हो रहा है। यहां पर बिल्डर चार करोड़, पांच करोड़ में प्लॉट खरीद रहा है और उसमें फ्लैट बनवाकर के डेढ़ से लेकर तीन करोड़ में बेचने का काम कर रहा है। पहले यह प्रवृत्ति गुड़गांव में थी और अब यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी फैल गई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ भी वे ध्यान देने का काम करें, क्योंकि यह बिल्डर्स तेजी के साथ अपने धन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जहां ये डेढ से लेकर तीन करोड़ में फ्लैट बेच रहे हैं, तो एक मामूली आदमी या एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति कैसे इन फ्लैटों को खरीद सकता है। इस तरह से किसानों की जमीनों को मामूली दामों पर खरीद करके उस पर फ्लैट बनवाकर महंगे दामों पर बेचने का काम कर रहे हैं।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो दुकानें सील हो गई हैं, उनको खुलवाने का काम करें और जो अवैध कॉलोनीज़ हैं जिनको इन्होंने नियमित करने का काम किया है, उनके जो नक्शा इत्यादि के बारे में परेशानियां

आ रही हैं, उनको दूर करने का काम करें। जो झुग्गी-झौंपड़ी वाले हैं, जो मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, जो दिल्ली में पसीना बहा करके इस दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके मैं यह तो नहीं कहता ये सबकी समस्या को दूर कर देंगे या सभी को आवास दे देंगे, लेकिन इनसे जितना संभव हो, प्रयास करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am here to support this Bill, which is intended to stop all the ceilings in Delhi till December, 2008. We are all aware that there have been problems in the National Capital Territory of Delhi at regular intervals. And, there has been unrest among the people owing to illegal constructions, evictions, police actions, and related issues. Therefore, the Government has a responsibility to create an order, which would stop this kind of actions and which would provide sufficient facilities to the people of Delhi.

Recently, I saw a news items of Mumbai, in which it was mentioned that the price of one square feet land, in Mumbai, was rupees five lakh. So,the price of land, in cities, is growing at an exorbitant rate. In the beginning itself it was mentioned that there was phenomenal increase in the population of the National Capital Territory of Delhi owning to migration and other factors, resulting in tremendous pressure on land and infrastructure, leading to encroachment and unauthorised developments, which are not in consonance with the concept of planned developed development. It was mentioned in the Master Plan of 2001. So, while addressing the question, we will have to tackle the other reasons which will be creating problem in Delhi. The first one is, migration from the villages. My colleagues have already expressed their viewpoint in this regard. It is a fact that millions of farmers are losing their land for livelihood. It was reported, between 1991 and 2001, that ...*(Interruptions)*...

It was reported that in between 1991 and ...*(Interruptions)*...

MR. VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Vijayaraghvan, one second. Will you stop for a minute?

3.00 P.M.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Now, I want to take the sense of the House. The hon. External Affairs Minister has requested that this time is convenient for seeking clarifications; and the hon. Minister, Shri Jaipal Reddy, has also, I believe, agreed to that. If it is the consensus of the House, I think, now we can go for clarifications on the statement. Okay. Now, Members to seek clarificatons on the statement made by Shri Anand Sharma, Minister of State in the Ministry of External Affairs on 28th November, 2007 regarding the stay of Ms. Taslima Nasreen in India. And, immediately after this, we will continue with the Bill.

Clarifications on the Statements by Ministers—*Contd.*

Re. Stay of Ms. Taslima Nasreen in India

SHRI SHAHID SIDDIQUI (Uttar Pradesh): Sir, will discussion on the issue of Taslima Nasreen take place immediately or tomorrow? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There will be clarifications now. ...*(Interruptions)*...